प्रेस विज्ञप्ति
21/8/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19/8/2025 को गुरुग्राम (हरियाणा) में 4 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी सस्ती दरों पर प्लॉट बेचने और अवैध क्रिप्टोकरेंसी निवेश के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले की चल रही जांच के संबंध में की गई, जहां संदीप यादव, मनोज यादव और अन्य लोगों द्वारा जनता को अत्यधिक रिटर्न के वादे के साथ लुभाया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए, साथ ही आरोपियों से जुड़े लगभग 42 लाख रुपये की राशि वाले 17 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा, 15 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों की पहचान की गई।

हरियाणा पुलिस द्वारा संदीप यादव, मनोज यादव और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जाँच शुरू की। जाँच से पता चला है कि संदीप यादव, मनोज यादव और मोहन शर्मा अपने अन्य करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर, लोगों को कम दामों पर ज़मीन बेचने का लालच देकर ठगी कर रहे थे। इन धोखाधड़ी गतिविधियों से अर्जित धन को बाद में उनके सहयोगियों की मदद से चल-अचल संपत्तियों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी में भी निवेश किया गया।

इस मामले में पहले की गई तलाशी में 17 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी ज़ब्त की गई थी।

आगे की जाँच जारी है।